



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: COE/...668./2023

दिनांक: 01.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय:- अंकतालिका एवं उपाधि वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2015 से 2022 तक की अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय छलेसर परिसर, आगरा से विशेष अभियान चलाकर वितरित की गयी थी, परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं की गयी हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः अंकतालिका एवं उपाधि हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2022 तक की शेष उपाधियाँ एवं अंकतालिकाओं का वितरण निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित किया गया है:-

क्र०सं०	दिनांक	कालेज कोड	वितरण स्थल
1	02.11.2023	001 से 400 तक	विश्वविद्यालय, छलेसर कैम्पस, आगरा
2	03.11.2023	401 से 800 तक	
3	04.11.2023	801 से शेष सभी महाविद्यालय	

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार अंकतालिकाओं को प्राप्त करने हेतु तत्काल अपने महाविद्यालय के किसी शिक्षक/कर्मचारी को प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र तथा संलग्न प्रारूप पर घोषणा-पत्र के साथ भेजने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त अंकतालिकाओं का वितरण कार्य पूर्ण किया जा सके।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपनी देखरेख में उपाधियों एवं अंकतालिकाओं का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
2. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त पटल प्रभारी एवं पटल सहायक।
4. श्री मदन गोपाल गोस्वामी, अधीक्षक, गोपनीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को छात्रहित में निःशुल्क समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. अधिकृत एजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगइन आईडी एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ
कि..... महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय
एवं शासनादेशों के निर्देशों का पालन करते हुए सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क उपाधि
एवं अंकतालिका वितरित की जाएगी। किसी भी छात्र/छात्रा को अन्य किसी रूप में शुल्क
जमा कराने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय के प्रति
शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय में की जाती है तो महाविद्यालय
के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने हेतु विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

प्राचार्य/प्राचार्या